HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 153/2021

Mohan Lal Gupta S/o Kanhaiya Lal, Resident Of Ghantaghar Road, Behind Adarsh Vidhya Mandir School, Dholpur The Then Patwari Patwar Halka Jhiri, Additional Tehsil Sarmathura, Tehsil Basedi, District Dholpur Rajasthan

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Kapil Gupta, Adv. with Mr. Ajeet Singh Shekhawat, Adv. Mr. Chitransh Saxena, Adv. Mr. Vipul Ojha, Adv. Mr. Tanay Choudhary, Adv. Mr. Aval Yadva, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Judgment

1.	**Arguments Concluded On:**	**17/02/2026**
2.	**Judgment Reserved On:**	**17/02/2026**
3.	**Full Judgment/Operative Part Pronounced:**	**Full Judgment**
4.	**Pronounced On:**	**19/03/2026**

अपीलार्थी श्री मोहनलाल गुप्ता (जिस आगे ‘अभियुक्त’ कहा जाएगा) के द्वारा यह दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर (जिसे आगे ‘विचारण न्यायालय’ कहा जाएगा) के द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 206/14 (16/06) में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.01.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे आगे ‘अधिनियम 1988’ कहा जाएगा) की धारा 7 व

धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) में दोषसिद्ध कर अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड और 5 हजार रुपए के अर्थदंड का संदाय नहीं करने पर 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) अधिनियम, 1988 के अपराध के लिए 2 वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थदंड तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड का संदाय नहीं करने पर 3 माह के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक और विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गई और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

संक्षेप में सुसंगत कहानी यह है कि पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल परिवादी के द्वारा दिनांक 09.08.2024 को पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग धौलपुर (जिसे आगे 'ब्यूरो' कहा जाएगा) के समक्ष पर्चा बयान इस आशय का दिया कि उसके पिता मानसिंह ने सुल्तान से करीब 7 बिस्वा जमीन करीब 7 हजार रुपए में खरीदकर रजिस्ट्री कराई थी और अभियान के दौरान रजिस्ट्री अधवीर पटवारी को दे दी, अधवीर पटवारी ने उससे कहा कि दाखिला भर लिया। उसके करीब 1 साल बाद में परिवादी नक्शा देखने अधवीर के पास आया और खसरा नंबर 301 के बारे में पूछा तो अधवीर ने बताया कि यह नंबर सुल्तान के नाम है और जब परिवादी बनवारी लाल ने अधवीर से कहा कि यह 7 बिस्वा उसके पिताजी ने सुल्तान से खरीदी है तथा यह जमीन उनके नाम होनी चाहिए, तो अधवीर ने कहा कि रजिस्ट्री ले आना दाखिला करा दूंगा। फिर परिवादी बनवारी लाल ने रजिस्ट्री 2003 के भादो में अधवीर पटवारी को दी, तो वह उसे डुलाता रहा। इसके बाद परिवादी ने सुना कि अधवीर सस्पेन्ड हो गया है। उसके बाद वह अधवीर के पास रजिस्ट्री लेने गया तब अधवीर ने परिवादी से कहा कि उसकी ड्यूटी तो सरमथुरा हो गई है, उसने परिवादी का काम करवा दिया है तथा उसे न घबराने का बोलकर आश्वासन दिया। इसके बाद में परिवादी ने मोहनलाल पटवारी से मिलकर कहा कि भैया मेरी रजिस्ट्री दे दो तो उसने परिवादी से कहा कि इसका दाखिला नहीं हुआ, तो इस पर मोहनलाल ने परिवादी से कहा कि इस पर दाम लगेंगे और एक हजार रुपए का खर्चा पड़ेगा। अपीलार्थी मोहनलाल ने परिवादी की रजिस्ट्री रख ली और एक हजार रुपए बिना दाखिला करने से मना कर दिया। परिवादी ने वह

रजिस्ट्री अपीलार्थी के पास होना तथा उसका दाखिला करवाने के लिए अपीलार्थी को एक हजार रुपए की राशि न देने की इच्छा करना बताया है। इस पर परिवादी के द्वारा उक्त पर्चा बयान लिखकर देने पर दिनांक 09.08.2004 को ब्यूरो के द्वारा कार्यवाही की गई तथा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा एक हजार रुपए की रिश्वत राशि की मांग करना पाए जाने पर दिनांक 12.08.2004 को दो स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार अग्रवाल सहायक अभियंता और नरेन्द्र कौशिक कनिष्ठ अभियन्ता, सिंचाई विभाग, धौलपुर को बुलाया गया और दोनों के सामने परिवादी को रिश्वत की राशि अपीलार्थी/अभियुक्त को देने के लिए उसके आवास पर भेजा गया। फिर अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा रुपए प्राप्त कर लिए गए और जब ब्यूरो के अधिकारियों ने अपीलार्थी/अभियुक्त से रिश्वत की राशि के बारे में उससे पूछा तो अपीलार्थी/अभियुक्त ने रिश्वत की राशि लेने से साफ मना कर दिया। इस पर अपीलार्थी/अभियुक्त और उसकी पत्नी श्रीमती ममता देवी के दोनों हाथ सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाए गए और धोवन को शीशियों में भरवाकर सील मोहर किया गया। रिश्वत की राशि और परिवादी के कार्य से संबंधित अभिलेख अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद कर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 का प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाए जाने पर प्रकरण संख्या 196/2004 दिनांक 20.08.2004 को उपरोक्त धाराओं में मुख्यालय एसीबी, जयपुर द्वारा पंजीबद्ध किया गया। अग्रिम अनुसंधान पुलिस निरीक्षक, एसीबी, धौलपुर द्वारा किया गया, उनके द्वारा अनुसंधान किए जाने के पश्चात व अभियोजन स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात यह पाया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने स्वयं का हल्का (कार्यक्षेत्र) नहीं होते हुए भी दूसरे पटवार हल्का झिरी तहसील बसेड़ी का कार्य होने पर अवैधानिक रूप से परिवादी से दाखिला खारिज खोलने की एवज में दिनांक 09.08.2004 को 1000/— रुपए की रिश्वत की राशि की मांग कर दिनांक 12.08.2004 को अपने धौलपुर स्थित आवास पर उक्त राशि प्राप्त की। रिश्वत की राशि और परिवादी के कार्य से संबंधित रिकॉर्ड अपीलार्थी/अभियुक्त के पास बरामद हुए। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 का अपराध प्रथम

दृष्टया बनना पाए जाने पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 54/06 दिनांक 14.02.2006 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को अधिनियम की अधिनियम की धारा 7 व धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित कर सुनाया गया व समझाया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपराध कारित करने से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में 12 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाये व 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा 32 आर्टिकल को प्रदर्शित किया, उसके बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्तानुसार अपीलार्थी/अभियुक्त को दंडित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि पीडब्ल्यू 9 मटोलीराम शर्मा, जो बरवक्त घटना बसेड़ी जिला धौलपुर का तहसीलदार था, उसने अपने बयान में यह कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त पटवार मंडल झिरी सैकेण्ड तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर के पद पर पदस्थापित था और वह बाल बच्चों सहित पटवार मुख्यालय पर रहता था। झिरी धौलपुर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। पीडब्ल्यू 1 शिवलाल ने अपने बयान में कहा है कि झिरी धौलपुर क्षेत्र का सबसे दुर्गम स्थान है, वहां जाने का कोई साधन नहीं है, झिरी सरमथुरा से 27 किलोमीटर दूर बीहड़ में बसा है। यह उल्लेखनीय है कि वहां सड़क नाम की चीज नहीं है और सरमथुरा से बीहड़ होकर शाम 4 बजे बस जाती थी और सुबह 8 बजे झिरी से सरमथुरा आती थी। 27 किलोमीटर की यात्रा में जंगल का रास्ता है और लगभग 2 से 3 घंटे में पूरा होता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि घटनास्थल पर जो मकान बताया गया है, जहां से रिश्वत की राशि बरामद होनी बताई गई है, वह मकान अपीलार्थी/अभियुक्त की मां शांति देवी के नाम है और उस समय उस मकान में पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता पटवारी किराए पर रहता था और वह भैसाना का पटवारी था। पटवार मंडल भैसाना के संबंध में ही परिवादी का कार्य था, इस तथ्य को पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता ने अपने बयान में बताया है। अपीलार्थी/अभियुक्त पटवार मंडल तहसील धौलपुर

में कभी भी कार्यरत और पदस्थापित नहीं रहा। अपीलार्थी/अभियुक्त का बयनामा (प्रदर्श 19) जिसकी रजिस्ट्री जमाबंदी में दाखिले के इंद्राज का मामला था, वह ग्राम ढेड पटवार मंडल भैसाना तहसील धौलपुर से संबंधित था, वह अपीलार्थी/अभियुक्त के कार्यक्षेत्र का नहीं था, वरन पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार के कार्यक्षेत्र का था, इस तथ्य को पीडब्ल्यू 6 मानसिंह व अन्य साक्षीगण ने अपने बयान में कहा है। बयनामा का इंद्राज कर राजस्व रिकॉर्ड में उसे चढ़ाने का दायित्व अपीलार्थी/अभियुक्त का नहीं था, वरन पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता का था। पवन कुमार गुप्ता को बचाने के लिए अपीलार्थी/अभियुक्त को ब्यूरो ने झूठा फंसा दिया। अपीलार्थी/अभियुक्त के घर पर ब्यूरो के पदाधिकारी आए तो उस समय पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता घर में मौजूद था, लेकिन ब्यूरो द्वारा न तो उसके हाथ धुलवाए गए न ही उस पर कोई कार्यवाही की गई और न ही उससे कोई पूछताछ की गई। पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह जिसका जब्ती के समय अपीलार्थी/अभियुक्त के मकान में आना बताया गया है, उसने पवन कुमार जैन के कमरे से परिवादी से संबंधित रिकॉर्ड जब्त होना बताया है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि ब्यूरो के अधिकारियों/अन्वेषण अधिकारियों ने पवन कुमार से अनुचित लाभ प्राप्त कर अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा अंतर्वलित कर दिया है। जब अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, उससे पहले ही प्रदर्श 19 वयनामे (रजिस्ट्री) से संबंधित राजस्व अभिलेख में दाखिला खारिज संख्या 295 ग्राम ढेड़ से दिनांक 08.10.2001 को तत्कालीन पटवारी भैसाना जदुवीर सिंह द्वारा कर दिया गया था, जो कि आर्टीकल 7 में दर्शित है। आर्टिकल 10 जमाबंदी में इसका इंद्राज हो रखा है। पीडब्ल्यू 11 बच्चन सिंह (चालान कर्ता) तथा पीडब्ल्यू 4 जे.पी. विमल (तत्कालीन जिला कलक्टर) ने अपने बयान में कहा है कि एक बार दाखिला खारिज होने अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज होने के बाद पुनः नहीं हो सकता। जब ब्यूरो द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध रिश्वत लेने से संबंधित कार्यवाही की गई, उस समय अपीलार्थी/अभियुक्त के पास परिवादी का कोई काम लंबित नहीं था। अधिनियम 1988 की धारा 7 व 13 किसी कार्य को करने व रोकने के लिए अवैध परितोषण के लिए लगती है, ऐसी स्थिति में उक्त धाराओं के अंतर्गत अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गलत कार्यवाही की

गई है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गलत धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, तथा गलत अनुसंधान करके उसके विरुद्ध चालान पेश किया गया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि दिनांक 09.08.2004 को अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन एबीएम स्कूल के पीछे घंटाघर रोड़ धौलपुर का होना अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है। जबकि अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.08.2004 को ग्राम पंचायत झिरी के वार्ड संख्या 1 में सुबह 10 बजे से (EXD-3) वार्ड संख्या 2 में दोपहर 12 बजे से (EXD-4) वार्ड संख्या 3 में दोपहर 2.30 बजे से (EXD-5)पर होने वाली वार्ड सभा में मौजूद था। अतः सत्यापन वार्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ नहीं हुई, क्योंकि सत्यापन वार्ता के समय अपीलार्थी/अभियुक्त अपने पटवार मंडल झिरी, बसेड़ी में था, जो धौलपुर से 95 किलोमीटर दूर है। किसी भी व्यक्ति ने अपीलार्थी/अभियुक्त व परिवादी के मध्य हुई वार्ता को न देखा है न ही सुना है, यहां तक कि परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी ने भी अपने बयान में कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उससे कोई मांग नहीं की गई है और पीडब्ल्यू 8 बनवारी ने स्पष्ट रूप से पूरी ट्रेप कार्यवाही को गलत बताया है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने पीडब्ल्यू 8 परिवादी बनवारी से रिश्वत की राशि की मांग की हो या उक्त राशि अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से मिली हो इन समस्त तथ्यों से वह इनकार करता है। ब्यूरो द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध हुई कार्यवाही मिथ्या व झूठी बनाई गई है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि दिनांक 10.08.2004 को अपीलार्थी/अभियुक्त ग्राम पंचायत झिरी के वार्ड संख्या 4 व 5 में होने वाली वार्ड सभा की मीटिंग में उपस्थित था। (EXD-6) दिनांक 11.08.2004 को श्री धनीराम पटवारी की जांच में सहायक अधिकारी होने के कारण (EXD-7 व 8) श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर के यहां शाम 4 बजे पेशी होने के कारण उसमें आया था। झिरी के लिये रात्रि को कोई साधन न होने के कारण रात्रि को धौलपुर में अपनी मां के पास ही रूक गया था। दिनांक 12.08.2004 को पवन कुमार गुप्ता पटवारी को ट्रैप किया गया था। ट्रैप की सूचना होने पर उसके घर के व्यक्ति आ गए थे। पवन कुमार गुप्ता व सी.आई. चंद्रभान शर्मा की आपस में कुछ वार्ता हो गई

और चंद्रभान शर्मा ने पवन कुमार गुप्ता से अनुचित फायदा लेकर अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया और उनके विरुद्ध मनगढ़ंत केस बना दिया। यह तथ्य इससे भी स्पष्ट होता है कि पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता ने अपने बयान में यह कहा है कि एसीबी मामले उसे नोटिस देकर दिनांक 22.11.2004 को मुलजिम बनाया तथा उससे जमानत मुचलके लिए थे और उसके द्वारा कुछ जमानत मुचलके पेश किए गए थे तथा कुलदीप भट्ट और प्रदीप कुमार राजौरिया उसके जामिन थे। दिनांक 22.11.2004 के बाद वह और अपीलार्थी/अभियुक्त कोटा गए। पवन कुमार गुप्ता पीडब्ल्यू (7) ने यह भी कथन किया कि उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। अनुसंधान अधिकारी ने पवन कुमार गुप्ता से मिलीभगत करके उसको तो छोड़ दिया तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को मुलजिम बना दिया, यह तथ्य इससे भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 09.08.2004 में पर्चा बयान किया जाना बताया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 196/04 दिनांक 20.08.2004 को दर्ज की गई। इतने विलंब से रिपोर्ट दर्ज करने का कारण यही है कि ब्यूरो ने पवन कुमार गुप्ता से मिलीभगत कर बाद में सारे कागजात तैयार कर विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसका कोई कारण अन्वेषण अधिकारी ने नहीं बताया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि दिनांक 11.08.2004 को 5:30 बजे पर जरिये दूरभाष श्री अशोक बंसल अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग धौलपुर को दिनांक 12.08.2004 को सुबह 8 बजे दो स्वतंत्र गवाह भेजने हेतु निर्देशित किया गया था, बाद में कार्यवाही बदलने के लिए जलदाय को काट कर सिंचाई विभाग धौलपुर कर दिया गया। अशोक बंसल दिनांक 11.08.2004 को जलदाय विभाग धौलपुर के अधिशासी अभियंता थे। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता टी.एन. बंसल थे, जो स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उन्हें बुलाने के लिए कोई तहरीर नहीं दी गई। अन्य स्वतंत्र गवाह नरेंन्द्र कौशिक ने अपने बयान में यह कहा है कि इस प्रकरण से पूर्व भी वह एक केस में स्वतंत्र गवाह रह चुका है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी गवाह एसीबी वालों की मिलीभगत वाले गवाह हैं, ए.सी.बी. ने वास्तविक गवाह जलदाय विभाग के कार्मिकों के स्थान पर सिंचाई विभाग के कार्मिकों की मिलीभगत के गवाहों से झूठे बयान दिलवाए। साक्षीगण के बयानों

में विरोधाभास है। कोई साक्षी अपीलार्थी/अभियुक्त को पहले कमरे में होना बताता है, कोई दूसरे कमरे में होना बताता है कोई प्रकरण से संबंधित रिकॉर्ड पवन कुमार से प्राप्त होना बाताता है कोई अपीलार्थी/अभियुक्त से प्राप्त होना बताता है, इस प्रकार साक्षीगण के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारीलाल ने अपने बयान में कहा है कि उसने 500—500 रुपए के नोट एसीबी वालों को नहीं दिए और न ही वह अभियुक्त को रिश्वत की राशि लेने के बारे में बताता है। किसी भी गवाह ने अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग और रिश्वत लेने का समर्थन नहीं किया है। रिश्वत की 1 हजार रुपए की राशि अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से नहीं मिली है, वरन टोकरी में मिलना बताया है। एसीबी ने स्वयं टोकरी में उक्त राशि रखकर अपीलार्थी/अभियुक्त व उसकी पत्नी के हाथों में रासायनिक पदार्थ लगाकर दबाव में हाथ धोने की व अन्य कार्यवाही की है। टेलीफोन टेप करने से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। सत्यापन रिपोर्ट में टेप में आवाज अपीलार्थी/अभियुक्त की हो यह स्पष्ट नहीं है। फर्द जब्ती से संबंधित साक्षी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। जिला कलेक्टर धौलपुर ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए, विधिक प्रावधानों की पालना न करते हुएं प्रकरण से संबंधित कोई अभिलेख और सामग्री देखे बिना और यह देखे बिना कि अपीलार्थी/अभियुक्त के प्रति कृत्यों के निर्वहन में परिवादी का कोई काम था या नहीं या परिवादी का काम कार्यवाही से पूर्व संपूर्ण हो चुका था या नहीं जिला कलेक्टर ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, अतः अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जावे।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किए हैंः—

1. B. Jayaraj Vs State of A.P. (2014) 13 SCC 55; Order dated: 28.03.2014
2. Krishan Chander Vs State of Delhi; AIR 2016 SC 298; Order dated: 06.01.2016
3. P.Satyanarayana Murthy Vs The Dist. Inspector of Police and Ors.; (2015) 10 SCC 152; Order dated: 14.09.2015

4. N.Sunkanna Vs State of Andhra Pradesh;2016 (1) SCC 713; Order dated: 14.10.2015
5. C. Sukumaran Vs State of Kerela; 2015 AIR SCW 951; Order dated: 29.01.2015
6. Shri Prithvi Singh Vs State of Rajasthan; S.B. Criminal Appeal No. 148/2007; Order dated: 08.08.2025
7. Babu Lal Vs State of Rajasthan; S.B. Criminal Appeal (sb) No. 2556/2023; Order dated: 16.08.2024
8. Kailash Chndra Saini and Ors Vs State of Rajasthan; S.B. Criminal Appeal No. 1498/2023; Order dated: 19.12.2025
9. Rajesh Kumar Meel Vs State of Rajasthan and Ors; S.B. Criminal Revision Petition No. 307/2023; Order dated: 09.09.2024
10. Mangal Chand Vs State of Rajasthan; S.B. Criminal Appeal (sb) No. 1943/2018; Order dated: 18.07.2025
11. Anvar P.V. Vs P.K. Basheer; AIR 2015 SUPREME COURT 180; Order dated: 18.09.2024
12. S.K. Saini and Ors. Vs C.B.I.; MANU/DE/2441/2015; Order dated: 19.08.2015
13. Rattaram and Ors Vs State of Rajasthan and other connected matter; S.B. Criminal Appeal (sb) No. 1018/2018; Order dated: 22.05.2025

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने आरोपित कृत्य किया है इस तथ्य की पुष्टि सत्यापन रिपोर्ट से हुई है और ब्यूरो द्वारा परिवादी को अपीलार्थी/अभियुक्त टेप रिकॉर्ड लेकर भेजा गया उस टेप रिकॉर्डर में अंकित तथ्यों के ट्रांसस्क्रिप्ट के आधार पर यह पाया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने परिवादी से रिश्वत की राशि की मांग की है और उक्त सत्यापन के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जाशुदा मकान में से अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से एक हजार रुपए की रिश्वत की राशि बरामद हुई है। अपीलार्थी/अभियुक्त का हाथ धोकर देखा गया तो धोवन का रंग गदमैला मदमैला हो गया था जिसे दो–दो साफ कांच की शीशियों में सीलबंद कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। परिवादी बनवारी लाल के पक्षद्रोही घोषित होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है

कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने उक्त आरोपित कृत्य नहीं किया है। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी अन्वेषण अधिकारी के बयान और अन्य साक्षीगण के बयान से अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित हुए हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन के साथ अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषित कर दंडित करने में कोई विधिक भूल व त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत विनिश्चयों व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस अभिलेख में अभियोजन पक्ष को यह संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थी/अभियुक्त ने धारा 7 व धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) अधिनियम, 1988 में दंडनीय अपराध कारित किया है।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने तथा प्रस्तुत विनिश्चयों व अभिलेख के संपूर्ण अवलोकन के पश्चात मेरा अवधारण निम्न प्रकार हैः–

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय Imamsab Moulasab Toragal Vs. The State of Karnataka; Criminal Appeal No. 2553/2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व में पारित निर्णय Subair Vs. State of Kerala;(2009) 6 SCC 507 विनिश्चय के मद्देनजर यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम 1988 की 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) को संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्न तथ्यों को साबित किया जाना आवयश्क हैः–

1. रिश्वत की राशि की मांग करना और स्वीकार करना।
2. टेप कार्यवाही की दिनांक रिश्वत की राशि को अभियुक्त द्वारा प्राप्त करना।
3. अपीलार्थी/अभियुक्त की टेप की दिनांक को परिवादी का कार्य उसके पास लंबित होना, साबित होना आवश्यक है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने P Somaraju vs The State Of Andhra Pradesh; (2025) SCC Online SC 2291 में अधिनियम 1988 की धारा 20 में उपधारणा से पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की राशि की मांग किए जाना और स्वीकार किया जाना संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक

माना है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य का विवेचन कर सकती है और रिश्वत राशि की जब्ती बिना मांग साबित हुए दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त है। उक्त निर्णय के सुसंगत पैरा को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा–

> *18. The statutory presumption under Section 20 of the PC Act is not automatic and arises only once the foundational facts of demand and acceptance are proved. The same has been reiterated time and again by this Court; in the recent decision of Rajesh Gupta v. State through Central Bureau of Investigation, it was held:*
>
> *"17. For an offence under Section 7 of PC Act, the demand of illegal gratification is a sine qua non to prove the guilt. Mere recovery of currency notes cannot constitute an offence under Section 7 of PC Act, unless it is proved beyond reasonable doubt that accused voluntarily accepted the money, knowing it to be a bribe. The proof of acceptance of illegal gratification can follow only if there is proof of demand."*
>
> *19. It is therefore vital to examine these elements before the circumstance of recovery can assume any significance. We once again rely on the observation of this Court in Rajesh Gupta (supra):*
>
> *"16. .... The law is well-settled by the judgments of this Court in Panna Damodar Rathi v. State of Maharashtra, (1979) 4 SCC 526 and Ayyasami v. State of Tamil Nadu, (1992) 1 SCC 304, whereby it has been clarified that the sole testimony of the complainant, who is the interested witness, cannot be relied upon without having corroboration with the independent evidence."*
>
> *23. In contrast, the defence has consistently maintained that the alleged demand and acceptance of bribe never took place. According to the appellant, the complainant entered his office alone and during the appellant's brief absence, placed the tainted amount in the left-drawer of the table. Accordingly, when the trap-party entered, the appellant immediately denied having received any money, and the phenolphthalein test on both hands yielded negative results."*

State of Lokayuktha Police Davanagere Vs. C.B Nagaraj; 2025 SCC Online SC 1175 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल रिश्वत की राशि बरामद होना ही पर्याप्त नहीं है। रिश्वत की राशि की मांग को उसको स्वीकार करना और उसको जब्त

करने से संबंधित संपूर्ण कड़ी स्थापित होना आवश्यक है, इस संबंध में उक्त विनिश्चय में सुसंगत पैरा को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा–

> *"25. It is pertinent to note that till 05.02.2007, when the there is not even a whisper of there being any demand of bribe. Moreover, when the Complainant went back to the Respondent's office at 5:30 PM with the money, the prosecution case itself as per the deposition of its witnesses Complainant that he had already forwarded the concerned makes it clear that the Respondent had informed the file. Thus, if the same is accepted, there was no occasion for the Complainant to go ahead with paying the amount, which he claims to be in the nature of bribe demanded by the Respondent, after the work for which the bribe was purportedly sought, had already been done. The observation of the High Court to this extent is correct that just because money changed hands, in cases like the present, it cannot be ipso facto presumed that the same was pursuant to a demand, for the law requires that for conviction under the Act, an entire chain, beginning from demand, acceptance, and recovery has to be completed. In the case at hand, when the initial demand itself is suspicious, even if the two other components of payment and recovery can be held to have been proved, the chain would not be complete. A penal law has to be strictly construed [Md. Rahim Ali v. State of Assam, 2024 SCC OnLine SC 1695 @ Paragraph 45 and Jay Kishan v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 296 @ Paragraph 241. While we will advert to the presumption under Section 20 of the Act hereinafter, there is no cavil that while a reverse onus under specific statute can be placed on an accused, even then, there cannot be a presumption which casts an uncalled for onus on the accused. Chandrasha (supra) would not apply as demand has not been proven. In Paritala Sudhakar v. State of Telangana, 2025 SCC OnLine SC 1072, it was stated thus:*
>
> *21. As far as the submission of the State is that the presumption under Section 20 of the Act, as it then was, would operate against the Appellant is concerned, our analysis supra would indicate that the factum of demand, in the backdrop of an element of animus between the Appellant and complainant, is not proved. In such circumstances, the presumption under Section 20 of the Act would not militate against the Appellant, in terms of the pronouncement in Om Parkash v. State of Haryana, (2006) 2 SCC 250:*

> *'22. In view of the aforementioned discrepancies in the prosecution case, we are of the opinion that the defence story set up by the appellant cannot be said to be wholly improbable. Furthermore, it is not a case where the burden of proof was on the accused in terms of Section 20 of the Act. Even otherwise, where demand has not been proved, Section 20 will also have no application. (Union of India v. Purnandu Biswas [(2005) 12 SCC 576: (2005) 8 Scale 246] and T. Subramanian v. State of T.N. [(2006) 1 SCC 401: (2006) 1 Scale 116])'*
>
> *(emphasis supplied) (emphasis in bold is original, underlining is ours)"*

Madan Lal Vs State of Rajasthan (2015) 4 SCC 624 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिश्वत के नोट परस्पर पड़े होने की जब्ती को अधिनियम 1988 की धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा कि यह अभियुक्त के कब्जे से मिली है, नहीं माना है, उक्त विनिश्चय में सुसंगत पैरा को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा—

> *"18. On an examination of the evidence, there is considerable doubt raised in our mind, which qualifies as reasonable doubt, as to whether there was acceptance of bribe amounts by both the accused. True, the officers of the trap team spoke about the handing over of the money by the complainant to the 1st accused who handed over half, to the 2nd accused; which amounts were said to have been put by both the accused in their trouser pockets. PW 8 who led the trap team merely spoke of a recovery of the bribe amounts from the possession of the accused and the hands and trousers of the accused having positively reacted to the test solution. The said deposition is contrary to the statements made by the independent witnesses that some notes were found thrown on the floor. None of the officers spoke of any of the accused having taken out the notes and thrown it on the floor."*

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया जाना है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की राशि की मांग किया जाना और स्वीकार किया जाना युक्तियुक्त और संदेह से परे साबित किया है।

इस संबंध में अधिनियम, 1988 की धारा 7 को यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक होगा।

> *7. Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act.-*

Whoever, being, or expecting to be a public servant, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section2 or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment which shall be not less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Explanations.-

(a) "Expecting to be a public servant"- If a person not expecting to be in office obtains a gratification by deceiving others into a belief that he is about to be in office, and that he will then serve them, he may be guilty of cheating, but he is not guilty of the offence defined in this section.

ficial Tinos

(b) "Gratification". The word "gratification" is not restricted to pecuniary gratifications or to gratifications estimable in money. (c) "Legal remuneration"- The words "legal remuneration" are not restricted to remuneration which a public servant can lawfully demand, but include all remuneration which he is permitted by the Government or the organisation, which he serves, to accept. (d) "A motive or reward for doing". A person who receives a gratification as a motive or reward for doing what he does not intend or is not in a position to do, or has not done, comes within this expression.

(e) Where a public servant induces erroneously to believe that his influence with the a person Government has obtained a title for that person and thus induces that person to give the public servant, money or any other gratification as a reward for this service, the public servant has committed an offence under this section."

अतः अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत लोकसेवक द्वारा रिश्वत की अवैध राशि की मांग करना और उसे स्वीकार करना अधिनियम, 1988 की धारा 7 को साबित करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उक्त तथ्यों को साबित करने में असफल

रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने कोई रिश्वत की राशि की मांग की हो या स्वीकार किया हो, यह अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है।

इस प्रकरण में पीडब्ल्यू 9 मटोलीराम शर्मा जो बसेड़ी जिला धौलपुर में तहसीलदार के पद पर कार्यरत था, उसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के प्रथम नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 30 व 31 को प्रदर्शित करवाया गया है, उसके आधार पर व उक्त साक्षी के बयान के अंतर्गत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त का पदस्थापन पटवार मंडल झिरी तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर में था और वह परिवार सहित अर्थात् बाल–बच्चों सहित पटवार हैड़ क्वार्टर में रहता था। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित प्रायः समस्त साक्षीगण के बयान से यह स्थिति सामने आती है कि दिनांक 09.08.2004 व 12.08..2004 को अपीलार्थी/अभियुक्त पटवार हल्का झिरी बसेड़ी में कार्यरत था। पीडब्ल्यू 2 चंद्रभान सिंह के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने बयानों की प्रतिपरीक्षा में कहे गए तथ्य से यह स्थिति सामने आती है कि धौलपुर से झिरी गांव की दूरी 50–55 किलोमीटर है और परिवादी बनवारीलाल के खेत का नामांतरण हल्का पटवार भैसाना में था। अपीलार्थी/अभियुक्त के पटवार क्षेत्र झिरी में नहीं था। इस साक्षी के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि भैसाना क्षेत्र जिसमें परिवादी के खेत के नामांतरण का मामला था, उसका पटवारी पवन कुमार था। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित अन्य साक्षीगण ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि परिवादी बनवारीलाल के खेत के नामांतरण का मामला पटवार हल्का भैसाना में था न कि पटवार हल्का झिरी सैकण्ड बसेड़ी जिला धौलपुर में था। पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्ष 2004 में वह तहसील धौलपुर पटवार मंडल भैसाना में कार्यरत था जिसका चार्ज उसने जून, 2004 में लिया था। पीडब्ल्यू 6 मानसिंह जो कि परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी का पिता है, उसके प्रदर्श (19) रजिस्ट्री के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि जिससे रजिस्ट्री का इंद्राज राजस्व रिकॉर्ड में होना था, उसका पटवार सर्किल भैसाना पड़ता है न कि पटवार सर्किल झिरी सैकण्ड बसेड़ी जिला धौलपुर पड़ता है, जहां पर अपीलार्थी/अभियुक्त पदस्थापित था। पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह जिसकी ट्रेप कार्यवाही को संपादित किए जाने में भूमिका रही है, उसने भी अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है। परिवादी ढेड गांव का निवासी था जो पटवार मंडल

भैसाना में आता है और उस हल्के का पटवारी पवन कुमार जैन था। पीडब्ल्यू 11 बच्चन सिंह के प्रतिपरीक्षा से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श 19 वयनामा (रजिस्ट्री) के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दाखिला खारिज (इंद्राज) जो किया जाना था, उस खसरा नंबर 301 का नामांतरण दिनांक 08.10.2001 को किया जा चुका था, उस संबंध में इस प्रकरण में आर्टिकल 7 प्रदर्शित हुआ है, जिसमें दाखिला खारिज (इंद्राज) का नंबर 295 दर्शित किया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि दाखिला खारिज (इंद्राज) की जमाबंदी में अमल दिनांक 08.10.2001 को चुकी थी। दाखिला खारिज (इंद्राज) आरोपियों द्वारा नहीं किया गया। इस साक्षी का यह भी कथन है कि खसरा नंबर 301 ढेड़ गांव था जो भैसाना हल्का पटवार में आता है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित समस्त साक्षीगण के बयानों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त का दिनांक 09.08.2004 व 12 अगस्त, 2004 जब उसके विरुद्ध रिश्वत की राशि मांग का सत्यापन करना और रिश्वत की राशि प्राप्त करने व उससे जब्त करने का अभियोजन पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, उस समय वह पटवार मंडल झिरी सैकण्ड बसेड़ी में कार्यरत था। जबकि जिस वयनामा अर्थात् रजिस्ट्री का इंद्राज जमाबंदी या राजस्व रिकॉर्ड में होना था वह पटवार मंडल भैसाना में था, जिसका पटवारी पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार था। आर्टिकल 7 और इस प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात से भी यह स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 301 जिसका वयनामा (रजिस्ट्री) के आधार पर नामांतरण किया जाना था, उसका नामांतरण इंद्राज नंबर 295 में दिनांक 08.10.2001 को ही हो चुका था। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जहां दिनांक 09.08.2004 व दिनांक 12.08.2004 को अपीलार्थी/अभियुक्त पर रिश्वत की राशि की मांग करने और रिश्वत को प्राप्त करने व उसे जब्त करने का जो आरोप लगाया गया है, उक्त दिनांक को उसके पास परिवादी बनवारीलाल का कोई ऐसा कार्य लंबित नहीं था, जिसमें अपीलार्थी/अभियुक्त किसी प्रकार के किसी कार्य के करने या नहीं करने के एवज में रुपयों की राशि की मांग करता या प्राप्त करता।

इस प्रकरण में परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारीलाल परीक्षित हुआ है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है और वह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है। इस साक्षी के बयान के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त

को न तो वह जानता है न ही वह उससे कभी मिला है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने न तो उससे कोई 1 हजार रुपए रिश्वत की राशि की मांग की, न ही उक्त राशि स्वीकार की और उक्त राशि अपीलार्थी/अभियुक्त से जब्त भी नहीं की गई। ऐसी स्थिति में पीडब्ल्यू 8 परिवादी बनवारी के बयान के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लंबित आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। फिर भी परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी के बयान का अवलोकन करें तो यह साक्षी अपने बयान में कहता है कि उसके पिताजी ने 7 बिस्वा जमीन सुल्तान से खरीदी थी और उसकी रजिस्ट्री का दाखिला खोलने के लिए रजिस्ट्री पटवारी अधवीर को दो दी थी और उस रजिस्ट्री का नंबर 301 है, जब मैं अधवीर के पास दाखिला की पूछने गया तो अधवीर ने मुझसे कहा कि रजिस्ट्री कैम्प में गयी है। मैं अपीलार्थी/अभियुक्त मोहनलाल के पास नहीं गया। इस प्रकार इस साक्षी के बयान के अनुसार रजिस्ट्री नंबर 301 का दाखिला खोलने के लिए रजिस्ट्री पटवारी अधवीर को दी गई थी। पीडब्ल्यू 8 बनवारी अपने बयान की मुख्यः परीक्षा में यह भी कहता है कि उसने पटवारी अधवीर से यह कहा था कि दाखिला खारिज चढ़ गया हो तो रजिस्ट्री दे दे, लेकिन उसने रजिस्ट्री दी नहीं तथा परिवादी बनवारीलाल से कहा कि रजिस्ट्री खो गई है तथा रजिस्ट्री का क्या हुआ उसे पता नहीं है। यह साक्षी अपने बयान में यह भी कहता है कि अधवीर पटवारी ने मुझे रजिस्ट्री नहीं दी तो मैं उससे मांगता रहा, लेकिन उसने रजिस्ट्री नहीं दी। अधवीर पटवारी का स्थानांतरण होने पर उसकी जगह पवन पटवारी आया था। परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी का पिता पीडब्ल्यू 6 मानसिंह भी इस प्रकरण में परीक्षित हुआ है, उसके बयान से भी यह स्पष्ट होता है कि उसकी जमीन की रजिस्ट्री प्रदर्श पी–19 का पटवार सर्किल भैसाना है जिसका पटवारी जदोवीर सिंह था और उसी को प्रदर्श पी–19 वयनामा दिया था।

पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि भैसाना पटवार घर में वर्ष 2004 में उसके पटवारी होने से पूर्व उक्त पटवार मंडल भैसाना में पटवारी जदुवीर सिंह था। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण के बयान से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी ने अपनी रजिस्ट्री (वयनामा) का नामांतरण राजस्व

रिकॉर्ड (जमाबंदी) में कराने के लिए पटवारी जदोवीर सिंह को रजिस्ट्री दी थी और उक्त रजिस्ट्री वापिस जदोवीर ने नहीं लौटाई। जब रजिस्ट्री जदोवीर पटवारी ने नहीं लौटाई तो ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी–13 फर्द जब्ती वजह सबूत के आधार पर फर्द जब्ती के क्रम संख्या 5 में अंकित वयनामा अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कैसे और किन आधारों पर मिला, जिसे अभियोजन पक्ष अपने द्वारा परीक्षित साक्षियों के बयान के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाया है। यह उल्लेखनीय है, कि अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से जरिए फर्द प्रदर्श–13 जो दस्तावेज मिले उन पर पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता जो तहसील धौलपुर पटवार मंडल भैसाना का पटवारी था, उसके भी हस्ताक्षर कराए गए हैं। उक्त पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि परिवादी बनवारीलाल ने उसके सामने कोई रिश्वत की राशि नहीं दी थी और जब वयनामा प्रदर्श–19 का दाखिला खारिज आर्टिकल–7 के अंदर क्रमांक 295 पर हो चुका था जिसका इंद्राज रिकॉर्ड ऑफ राईट्स आर्टिकल 10 में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वयनामा प्रदर्श पी 19 के संबंध में कोई दूसरा दाखिला खारिज होने का सवाल पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जिन दस्तावेज का इंद्राज राजस्व रिकॉर्ड में किए जाने के अपराध का आरोप है, बरवक्त अपीलार्थी/अभियुक्त उक्त पटवार मंडल का पटवारी नहीं होकर पटवार मंडल झिरी सैकेण्ड बसेड़ी जिला धौलपुर का पटवारी था, जबकि वयनामा ग्राम घेड़ पटवार मंडल भैसेना तहसील धौलपुर से संबंधित था और उक्त प्रदर्श पी–19 वयनामा का संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज जो पटवारी जदुवीर सिंह द्वारा उसी समय हो चुका था। अपीलार्थी/अभियुक्त के पदीय कृत्यों के निर्वहन में परिवादी बनवारी लाल ऐसा कोई कार्य उसके पास नहीं था, जिससे इस संबंध में वह रिश्वत की राशि की मांग करता या प्राप्त करता।

इस प्रकरण में पीडब्ल्यू 2 चंद्रभान सिंह और पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह की उपस्थिति में अन्वेषण अधिकारी (पीडब्ल्यू 11) ने पीडब्ल्यू 8 परिवादी बनवारी लाल को अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने के लिए टेप रिकॉर्ड जरिए प्रदर्श पी–1 दिनांक 09.08.2004 को 08.30 ए.एम. पर सुपुर्द किया। उक्त साक्षीगण की उपस्थिति में जरिए प्रदर्श पी–2 जो

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की जो वार्तालाप आई, उक्त वार्ता से संबंधित कैसेट को टेप से निकालकर दिनांक 09.08.2004 को 09:30 ए.एम. पर सुना गया, जिसके आधार पर जरिए जरिए प्रदर्श पी–3 दिनांक 09.08.2004 को 09.30 ए.एम. पर वार्तालाप की ट्रांसस्क्रिप्ट को अन्वेषण अधिकारी (पीडब्ल्यू 11) के द्वारा तैयार किया गया, जबकि वार्तालाप की ट्रांसस्क्रिप्ट भी जिसकी वार्तालाप की कैसिट को टेप से सुना गया जो वार्तालाप सामने आई, उसकी फर्द जब्ती दिनांक 09.08.2004 को 09.10 ए.एम. पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा बनाई गई। जिस टेप से कैसिट में जो वार्तालाप हुई, उससे संबंधित इस प्रकरण में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र नहीं लिए जाने के कारण से टेप में रिकॉर्ड की गई, कैसेट में अंकित वार्तालाप अभियोजन कहानी को दूषित करती है और संदेह उत्पन्न करती है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय ANVAR P.V Vs P.K. BASHEER; (2014) 10 SCC 473 के पैरा संख्या 22 में यह मत अभिनिर्धारित किया हैः–

> *"......the statement of law on admissibility of secondary evidence pertaining to electronic record, as stated by this Court in Navjot Sandhu case (supra), does not lay down the correct legal position. It requires to be overruled and we do so. An electronic record by way of secondary evidence shall not be admitted in evidence unless the requirements Under Section 65B are satisfied. Thus, in the case of CD, VCD, chip, etc., the same shall be accompanied by the certificate in terms of Section 65B obtained at the time of taking the document, without which, the secondary evidence pertaining to that electronic record, is inadmissible..."*

इस प्रकरण में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 4 के संबंध में साक्षीगण पीडब्ल्यू 2 चंद्रभान सिंह और पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह परीक्षित हुए हैं। उक्त साक्षीगण से की गई प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि पीडब्ल्यू 2 चंद्रभान सिंह ट्रैप कार्यवाही से पहले परिवादी बनवारीलाल को जानता था परंतु पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह परिवादी बनवारी लाल को नहीं जानता था। दोनों साक्षीगण इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि परिवादी ढेड़ गांव का था जो पटवार मंडल

भैसाना के अंदर आता है। साक्षी पीडब्ल्यू 2 चंद्रभान सिंह के बयान से यह स्थिति सामने आती है कि उक्त खेत का नामांतरण हल्का पटवार भैसाना का था, लेकिन अपीलार्थी/अभियुक्त का पटवार क्षेत्र झिरी का नहीं था और भैसाना क्षेत्र का पटवारी पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता था। उक्त साक्षीगण के बयान से यह स्थिति भी सामने आती है कि जब उक्त दोनों साक्षीगण ट्रैप करने के लिए अन्वेषण अधिकारी (पीडब्ल्यू 11) के साथ अपीलार्थी/अभियुक्त के घर में दिनांक 12.08.2004 को सुबह 11.15 बजे गए, तब अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह कहा कि नामांकरण भैसाना के पटवार क्षेत्र का है और वह झिरी का पटवारी है। उक्त साक्षीगण से की गई प्रतिपरीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार वहां पर मौजूद था और उसने स्वयं को पटवार हल्का भैसाना का पटवारी होना बताया है। पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार अपीलार्थी/अभियुक्त के मकान में किराए पर रहता था, इस तथ्य को पीडब्ल्यू 2 चंद्रभान सिंह ने अपने बयान में कहा है। उसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता ने भी अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने शांति देवी का मकान जो कि अपीलार्थी/अभियुक्त की मां का मकान है, किराए पर ले रखा था। बरवक्त ट्रैप कार्यवाही पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के मकान में मौजूद था, इस तथ्य को उसके द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया गया है। जब ट्रैप की कार्यवाही हुई, तब अपीलार्थी/अभियुक्त के घर पर पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार जैन, पटवारी हल्का भैसाना तथा उससे किसी काम से मिलने आया दूसरा व्यक्ति राजेन्द्र सिंह भी था। राजेन्द्र सिंह से कोई पूछताछ नहीं की गई और पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार जैन जिसके पटवार हल्का भैसाना से संबंधित परिवादी का कार्य था, एसीबी द्वारा उसके हाथ न धुलवाकर उसके द्वारा रिश्वत लिए जाने की पुष्टि अन्वेषण अधिकारी द्वारा नहीं की गई। पीडब्ल्यू 2 चंद्रभान सिंह, पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह के बयान से यह स्पष्ट होता है कि उनकी उपस्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त ने कोई रिश्वत की राशि नहीं ली। अपीलार्थी/अभियुक्त ने परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल से कोई रिश्वत की राशि ली हो इस तथ्य को पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल अपने बयान में स्वीकार नहीं करता है न ही पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल से रिश्वत की राशि

ली हो। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारीलाल से रिश्वत की राशि लेता तो पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार जैन और राजेन्द्र सिंह को पता होता क्योंकि उस समय वे अपीलार्थी/अभियुक्त के घर पर ही थे। अपीलार्थी/अभियुक्त ने परिवादी से रिश्वत की राशि ली हो इस तथ्य को पीडब्ल्यू 8 परिवादी स्वयं व पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार अपने बयान में स्वीकार नहीं करते हैं। राजेन्द्र सिंह जो ट्रेप की कार्यवाही के दौरान घटनास्थल पर था, उसके बयान अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराए गए हैं,। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण के बयान के अनुसार पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में उसके सामने अपीलार्थी/अभियुक्त को कोई रिश्वत की राशि नहीं दी गई, केवल परिवादी पीडब्लयू 8 बनवारीलाल ही वह साक्षी है, जिसने अपीलार्थी/अभियुक्त को रिश्वत की राशि दी। पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल परिवादी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है, वह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है तथा इस तथ्य को नहीं कहता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने उससे रिश्वत की राशि की मांग की हो या स्वीकार की हो या उसके कब्जे से बरामद हुई हो।

अभियोजन कहानी के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के स्वयं के कब्जे से कोई रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है। पीडब्ल्यू 2 चंद्रभान सिंह और पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह के बयान के अनुसार रिश्वत की राशि एक टोकरी में तलाशी के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त के मकान में मिली। उक्त रिश्वत की राशि टोकरी में किसने रखी यह तथ्य उक्त साक्षीगण अपने बयान में नहीं बता पाए हैं। पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह अपने बयान में यह कहता है कि सी.आई. साहब के कहने से दिनेश अग्रवाल (गवाह) टोकरी में से पैसे निकालकर लाया था। दिनेश अग्रवाल से सी.आई साहब ने नोटों को गिनवाया था और टोकरी से पैसे निकालने से पहले दिनेश अग्रवाल के हाथ नहीं धुलवाए थे। नोट गिनवाने के बाद सी.आई. साहब ने गवाह दिनेश अग्रवाल से सोडियम कार्बोनेट का घोल बनाने के लिए कहा। घोल बनवाने के बाद अपीलार्थी/अभियुक्त मोहनलाल के हाथ धुलवाए जाने पर हाथों के धोवन का रंग गदमैला आया। पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा है कि दिनेश जिसने नोट निकालकर गिने थे और नोटों का मिलान गिनकर किया था, उसी ने अपीलार्थी/अभियुक्त मोहनलाल से नोट मिलने के बाद

उसके हाथ धुलवाये थे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह जो गदमैल अपीलार्थी/अभियुक्त मोहनलाल के धोने पर आया वो दिनेश द्वारा घोल बनाने के कारण आया हो। दिनेश कुमार अग्रवाल जिसकी उपस्थिति में ट्रैप की कार्यवाही की गई वह इस प्रकरण में पीडब्ल्यू 12 के रूप में परीक्षित हुआ है। उक्त साक्षी ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि नोट कूलर के ऊपर रखी एक छोटी सी टोकरी में मिले थे, सी.आई. साहब ने उससे पैसे सर्च करने को बोला था। टोकरी के ऊपर राशि मिल गई, लेकिन किसको पहले वह राशि दिखी उसे याद नहीं है। उक्त नोट उसके पास सुपुर्दगी में आए थे या नहीं इस विषय में उसे याद नहीं है। यह सही है कि ड्रॉईंग रूम में आने के बाद अभियुक्त मोहनलाल के हाथ धुलवाए किए थे। नोटों के बरामद होने के बाद मुलजिम के हाथ धुलवाए गए थे। घोल पीडब्ल्यू 12 दिनेश अग्रवाल के द्वारा रकम निकालने के बाद बनाया था परंतु उसके बाद दिनेश के हाथ नहीं धुलवाए थे। अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ धुलवाने पर एक हाथ का घोल गदमैला आया और एक हल्का मामूली गुलाबी था। लेकिन आज सभी शीशियों में घोल गदमैला ही है। इस प्रकार जहां पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह अपने बयान में यह कहता है कि पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल से सी.आई. साहब ने नोटों को गिनवाया था, इस तथ्य को पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल अपने बयान में नहीं कहता है। साक्षी दिनेश कुमार अग्रवाल ने यह कथन किया है कि टोकरी के ऊपर राशि सबसे पहले किसको दिखी उसे याद नहीं और उसके सुपुर्दगी में वह राशि आई हो वह भी उसे याद नहीं है। पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अवाल के बयान के अनुसार उसके द्वारा रकम निकलने के बाद घोल बनाया गया था। पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में कहता है कि नोट गिनवाने के बाद सी.आई. साहब ने गवाह दिनेश अग्रवाल से सोडियम कार्बोनेट का घोल बनाने को कहा था और टोकरी से पैसे निकालने से पहले दिनेश अग्रवाल के हाथ नहीं धुलवाए और घोल बनवाने के बाद मोहनलाल के हाथ धुलवाए जाने पर धोबन का रंग गदमैला आया। यह साक्षी स्पष्ट रूप से कहता है कि पीडब्ल्यू 12 दिनेश ने नोट टोकरी में से गिनकर निकाले थे और नोटों का मिलान गिनकर किया था और उसी के बाद दिनेश के द्वारा मोहनलाल के हाथ धुलवाए गए। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संभावना से

इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो गदमैल जो धोने पर आया वो दिनेश द्वारा घोल बनाने के कारण आया हो। ऐसी स्थिति में पीडब्ल्यू 10 गीतम सिंह तथा पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल के बयान पर विचार करें तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो गदमैल अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ धुलवाने पर आया वो पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल के घोल बनाने के कारण से आया हो और उक्त घोल रकम निकालने के बाद में बनाया गया है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान पीडब्ल्यू 3 नरेन्द्र सिंह कौशिक भी वहां उपस्थित था। उक्त साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त से पैसे की बरामदगी नहीं हुई, वरन पैसों की बरामदगी कूलर के ऊपर रखी एक प्लास्टिक की टोकरी से हुई। उसने यह भी कथन किया कि गवाह दिनेश ने वह रकम उठाकर सी.आई. साहब को दी थी, इस बात का उसको ध्यान नहीं है। नरेंद्र सिंह पवन के हाथ नहीं धुलवाने के तथ्य को भी अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में कहता है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के बयान से अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त किए जाने और उक्त राशि उसके कब्जे से बरामद किए जाने के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।

पीडब्ल्यू 3 नरेंद्र कौशिक ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 12.08.2004 को वह जे.ई.एन. के पद पर सिंचाई विभाग धौलपुर में कार्यरत था। उस दिन उसे सी.आई. साहब एसीबी धौलपुर के बुलाने पर, उनके पास एक्सईन के आदेश से गया था। उसके साथ एक ए.ई.एन. दिनेश अग्रवाल भी एसीबी कार्यालय में गया था। नरेंद्र कौशिक अपने बयानों की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि वह पहले भी एक एसीबी मामले में गवाह रहा है। पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल अपने बयान में कहता है कि दिनांक 12.08.2004 को वह जल संसाधन विभाग में ए.ई.एन के पद पर कार्यरत था और उसे सुबह एसीबी कार्यालय में बुलाया गया। उसके अफसर ने एक दिन पहले उससे कहा था कि उसे एसीबी कार्यालय धौलपुर जाना है। वहां उसके साथ जेइएन कौशिक भी थे। पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि अशोक बंसल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग में नहीं थे और उन्होंने उसे गवाह के रूप में जाने के लिए अधिकृत नहीं किया था, उसे टी.एन. बंसल अधिशासी अभियंता ने अधिकृत

किया था और उसे अधिकृत करने का जो पत्र दिया था वह पत्रावली में मौजूद नहीं है। पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल कौन–से सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश से ट्रैप कार्यवाही के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित हुआ उस आदेश को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में ट्रैप कार्यवाही के दौरान पीडब्ल्यू 12 दिनेश कुमार अग्रवाल की उपस्थिति भी संदिग्ध है। पीडब्ल्यू 3 नरेन्द्र कौशिक पूर्व में एक एसीबी मामले में गवाह रह चुका है, अतः उक्त गवाह एसीबी के लिए हितबद्ध माना जा सकता है। ट्रैप कार्यवाही स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में ट्रैप कार्यवाही संदिग्ध है।

इस प्रकरण में पीडब्ल्यू 1 शिवलाल जो दिनांक 12.08.2004 को एसीबी कार्यालय, धौलपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था और इस साक्षी को सी.आई. चंद्रभान सिंह ने अपने चैम्बर में बुलाया जहां पर श्री दिनेश कुमार अग्रवाल एवं श्री नरेंद्र कुमार कौशिक तथा परिवादी श्री बनवारी लाल की उपस्थिति में परिवादी को एक हजार रुपए जिसमें 500–500/– रुपए के दो नोट थे, प्रस्तुत करने के लिए कहा और इस साक्षी के द्वारा सी.आई. के निर्देश पर उनके द्वारा बोलने पर बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्होंने टाईप की, जिसके क्रमांकन हेतु (20.08.2004) को मुख्यालय जयपुर प्रेषित किया गया, जिसका मुख्य नंबर 196/2004 दर्ज हुआ। यह साक्षी अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में यह कहता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त भैसाना पंचायत सर्किल का पटवारी नहीं था अपितु झिरी सैकेण्ड का पटवारी था। ट्रैप कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह कहा था कि उसने कोई रिश्वत की राशि नहीं ली है और परिवादी का मामला भैसाना पटवार हल्का का है, जिसका पटवारी पवन कुमार वहां मौजूद था, उक्त साक्षी अपने बयान में यह भी कहता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने परिवादी से उसके सामने रिश्वत की कोई रकम नहीं ली। यह साक्षी कहता है कि कूलर के ऊपर रखी प्लास्टिक की टोकरी से रिश्वत की राशि बरामद हुई और उक्त रकम वहां पर किसने रखी उसे इसका पता नहीं है। यह साक्षी इस तथ्य को भी कहता है कि सी.आई. साहब ने गवाह पीडब्ल्यू 12 दिनेश अग्रवाल के हाथों का कलर नहीं लिया और जिस समय अपीलार्थी/अभियुक्त मोहनलाल के हाथ धुलवा चुके थे, उस समय तक नोट बरामद हो चुके थे और वो नोट भी सी.आई. साहब के पास में ही थे।

जब शीशियों में कलर भरा गया तब वह गुलाबी रंग का था और जब अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथों को धुलवाकर घोल भरा गया वह मटमैला व गदमैला किस कारण था यह अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया है।

पीडब्ल्यू 5 अजय कुमार जो दिनांक 09.08.2004 को एसीबी कार्यालय धौलपुर में कांस्टेबल के पद पर था, उसे चंद्रभान शर्मा सी.आई. साहब ने परिवादी बनवारी लाल के साथ टेप मय कैसेट सहित रिश्वत मांग सत्यापन हेतु अपीलार्थी/अभियुक्त के आवास पर भेजा था। इस साक्षी ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श 1 से 4 तक दस्तावेज एक ही तारीख के तथा उसके हस्तलेख के होने का बताया है और दिनांक 09.08.2004 को सत्यापन की कार्यवाही प्रारंभ होया जाना बताया है। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने से संबंधित वार्तालाप जरिए प्रदर्श 2 फर्द वापसी टेप रिकॉर्ड से की गई उक्त फर्द 09.30 ए.एम. पर की गई और उसका ट्रांसस्क्रिप्ट भी जरिए प्रदर्श पी–3 दिनांक 09.08.2004 को 09.30 ए.एम. पर कैसे कर लिया गया और अन्य फर्द भी उसी समय पर 09.30 ए.एम पर दिनांक 09.08.2004 को कर लिए गए, इसका कोई युक्तियुक्त और संतोषजनक कारण अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण ने नहीं बताया है। वार्तालाप को सुनने तथा उसका ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करना और समस्त कार्यवाही दिनांक 09.08.2004 को एक ही समय 09.30 ए.एम. पर हो जाए यह संभव प्रतीत नहीं होता है। पीडब्ल्यू 5 अजय कुमार अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में कहता है कि प्रदर्श पी–3 परिवादी के आने पर परिवादी के परिचय की ट्रांसस्क्रिप्ट है, जो सत्यापन मांग से पहले वार्ता रिकॉर्ड की गई और 09.30 ए.एम. पर सत्यापन से वापिस आने पर इसकी ट्रांसस्क्रिप्ट बनायी गयी। अजय कुमार ने यह भी कथन किया है कि वह यह नहीं कह सकता है कि कौन–सी ट्रांसस्क्रिप्ट पहले बनायी गयी और कौनसी बाद में बनायी गयी। प्रदर्श पी–3 और पी–4 दोनों पर एक ही समय अंकित है। प्रदर्श पी 3 ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने में कितना समय लगा वह नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण भी अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि जो दस्तावेज फर्द एक ही समय 09.30 पर बनाई गई, उसमें एक ही समय पर समस्त कार्यवाही किस प्रकार संपादित की गई, जो संभव प्रतीत नहीं होती है। यह साक्षी यह भी कहता है कि रिश्वत की मांग सत्यापन से पहले परिवादी से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई न ही वह परिवादी की

आवाज को पहले से पहचानता है। ऐसी स्थिति में जो रिश्वत की मांग का सत्यापन हुआ, उसमें रिश्वत मांगने की आवाज ट्रांसस्क्रिप्ट किसकी थी, इस तथ्य को भी अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया है। यह साक्षी भी कूलर के ऊपर प्लास्टिक की टोकरी में रकम बरामद होना कहता है। गवाह पीडब्ल्यू 12 दिनेश द्वारा सोडियम कार्बोनेट का घोल बनाए जाने व मुलजिम के हाथों के धोबन का रंग गुलाबी नहीं होकर गदमैला होना भी उक्त साक्षी अपने बयान में कहता है।

पीडब्ल्यू 6 मानसिंह जो पीडब्ल्यू 8 बनवारीलाल का पिता है, ने अपने बयान में अपने लड़के पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल के कहने पर अपीलार्थी/अभियुक्त का नाम उसके द्वारा आपराधिक कृत्य किए जाने के संबंध में बताया है। जबकि पीडब्ल्यू 6 मानसिंह का पुत्र पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल इस तथ्य को अपने बयान में नहीं कहता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने रिश्वत की राशि की मांग की हो या प्राप्त की हो या उससे उक्त राशि जब्त हुई हो।

पीडब्ल्यू 11 बच्चन सिंह के बयान से भी अभियोजन कहानी युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित नहीं होती है। इस प्रकरण में परमानंद माहौर पुलिस निरीक्षक एसीबी, धौलपुर, जिसने प्रकरण का समस्त अनुसंधान किया, वह अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज व आर्टिकल साबित नहीं होते हैं।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से यह स्थिति सामने आती है कि अपीलार्थी/अभियुक्त उस पटवार मंडल का पटवारी नहीं था, जिस पटवार मंडल से संबंधित कार्य परिवादी का था। उसका पटवारी पीडल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के पदीय कर्तव्य में परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल का ऐसा कोई कार्य नहीं था, जिसके आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त उक्त कार्य को करने के लिए परिवादी से कोई रिश्वत की मांग करता या रिश्वत को स्वीकार करता। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण के बयान व प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्थिति भी सामने आती है कि दिनांक 09.08.2004 को रिश्वत की राशि की मांग का सत्यापन किया गया और दिनांक 12.08.2004 जब रिश्वत की राशि

की बरामदगी की गई, उस समय बयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दाखिला खारिज इंद्राज किया जाना था, वह इंद्राज लंबित नहीं था और उक्त इंद्राज दिनांक 08.10.2001 को ही हो चुका था। ऐसी स्थिति में यह स्थिति भी इस प्रकरण में नहीं बनती है जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने पटवारी पद के, प्रभाव का प्रयोग करते हुए परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल से कार्य संपादित करने के लिए कोई राशि की मांग की हो या उस राशि को प्राप्त किया हो। दिनांक 09.08.2004 को जो रिश्वत की राशि की मांग का सत्यापन किया गया और जिस टेप व कैसेट के माध्यम से वार्तालाप रिकॉर्ड की गई, उससे संबंधित सक्षम व्यक्ति के द्वारा अन्वेषण अधिकारी से धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। टेप रिकॉर्डर से जो आवाज टेप हुई, वह आवाज अपीलार्थी/अभियुक्त की ही थी, इस तथ्य को किसी भी साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है। रिश्वत की मांग का सत्यापन करने से संबंधित जो साक्षी था, वह पहले से अपीलार्थी/अभियुक्त व उसकी आवाज को नहीं पहचानता था। यहां तक कि पीडब्ल्यू 8 परिवादी बनवारी लाल अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपने बयान में यह कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने न तो उससे कोई रिश्वत की राशि की मांग की न ही उसके द्वारा रिश्वत की राशि स्वीकार की गई, और न ही उससे रिश्वत की राशि जब्त की गई। परिवादी पीडब्ल्यू 8 के पिता मानसिंह पीडब्ल्यू 6 ने अपने बयान में अपीलार्थी/अभियुक्त का नाम उसके पुत्र बनवारी लाल के कहने के आधार पर बताया है। उसके पिता द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के लिए कहे गए उक्त तथ्य की पुष्टि पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल अपने बयान में नहीं करता है। ऐसी स्थिति में पीडब्ल्यू 8 बनवारीलाल के पिता मानसिंह के बयान विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं। प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार परिवादी के अलावा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, जिसके समक्ष परिवादी बनवारी लाल द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को रिश्वत की राशि दी गई हो। परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल अपने बयान में इस तथ्य को नहीं बताता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने उससे रिश्वत की राशि ली हो। जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों ने अपीलार्थी/अभियुक्त के मकान में प्रवेश किया तब पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार और राजेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति

वहां बैठे थे। पवन कुमार उस समय उस पटवार मंडल का पटवारी था, जिस पटवार मंडल में परिवादी से संबंधित कार्य था। पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार अपीलार्थी/अभियुक्त की मां शांति देवी का किरायेदार था। अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिश्वत की राशि लिए जाने के संबंध में पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार से हाथ मौके पर क्यों नहीं धुलवाए गए, इसका कोई कारण अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि एसीबी वालों ने उसे नोटिस देकर दिनांक 22.11.2004 को उसे मुलजिम बनाने के लिए उससे जमानत मुचलके लिए थे और उसने जमानत मुचलके पेश किए थे तथा कुलदीप भट्ट और प्रदीप कुमार राजौरिया पटवारी उसके जामिन थे तथा उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। यदि पवन कुमार अभियुक्त नहीं होता और उसके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया जाता तो एसीबी वालों ने उसको मुलजिम बनाने के लिए जमानत मुचलके क्यों भरवाए तथा कुलदीप भट्ट और प्रदीप राजौरिया से जमानत क्यों ली, इसके संबंध में कोई कारण अभियोजन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। राजेन्द्र नाम का व्यक्ति मौके पर उपस्थित था, उसे घटना की सत्यता जांचने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह नहीं बनाया गया। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पीडब्ल्यू 7 पवन कुमार गुप्ता के द्वारा आपराधिक कृत्य किए जाने के कारण एसीबी ने उसके जमानत मुचलके भरवाए हों और बाद में उसे अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करके, अपीलार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में फंसा दिया हो। परिवादी पीडब्ल्यू 8 बनवारी लाल अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है। उसके बयान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित अन्य साक्षीगण के संपूर्ण बयानों का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग किए जाने, उसको प्राप्त किए जाने या उससे उक्त राशि जब्त किए जाने से संबंधित कड़ी नहीं जोड़ पाया है और न ही अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित कर पाया है।

ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त किए जाने और उससे राशि जब्त होने के तथ्य को स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण

से अभियोजन पक्ष अधिनियम 1988 की धारा 7 में दंडनीय अपराध को अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है।

जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) में दंडनीय अपराध कारित किए जाने का प्रश्न है, इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने लोकसेवक होते हुए बेईमानीपूर्वक और कपटपूर्वक स्वयं ने या अन्य किसी के माध्यम से अनुचित आर्थिक लाभ (रिश्वत की राशि) प्राप्त की हो या उसके लिए प्रयास किया हो, क्योंकि परिवादी का जो कार्य बयनामे के दाखिले खारिज (इंद्राज) से संबंधित था, वह उस पटवार मंडल में नहीं था, जिसमें अपीलार्थी/अभियुक्त लोक सेवक के रूप में पटवारी के पद पर कार्यरत था। इसके अतिरिक्त परिवादी का उक्त कार्य रिश्वत की मांग व सत्यापन से पूर्व ही संबंधित पटवार मंडल के पटवारी द्वारा किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य के लिए अपीलार्थी/अभियुक्त परिवादी से रुपयों की मांग करता या प्राप्त करता यह संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सपठित 13(2) के अंतर्गत बेईमानीपूर्वक कार्य किए जाने के तथ्य को अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया है। ऐसे में अपीलार्थी ने लोकसेवक होते हुए अवैधानिक तरीके से अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए अनुचित रूप से कोई आर्थिक लाभ (रिश्वत) स्वयं ने या अन्य किसी के माध्यम से प्राप्त की हो, यह तथ्य स्पष्ट नहीं होने के कारण से अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) में दंडनीय अपराध को साबित नहीं कर पाया है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त मोहनलाल गुप्ता पुत्र कन्हैया लाल निवासी घंटाघर रोड, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पीछे धौलपुर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का झिरी अतिरिक्त तहसील सरमथुरा, तहसील बसेड़ी, धौलपुर द्वारा प्रस्तुत यह अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 206/2014 (16/06) में पारित अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश दिनांक 12.01.2021 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त मोहन लाल को भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) के आरोपों से अर्थात् समस्त दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) में वर्णित प्रावधानों के तहत अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की प्रतिभूती एक माह में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करावे कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है अथवा अनुमति प्रदान की जाती है, तो अपीलार्थी को उसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाएगा।

संलग्न लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ लौटाया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /Res.